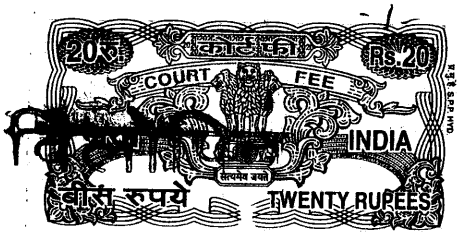

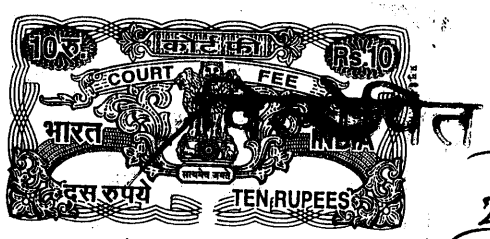

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

254

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 4126-II-16

प्रकरण / /2016

जिला अनूपपुर

दिलीप सिंह गौड पुत्र श्री लल्लूसिंह
उम्र 50 वर्ष जाति गोड़(अनुसूचित जनजाति)
निवासी ग्राम डोगरिया कला थाना विजुरी
तहसील कोतमा जिला अनूपपुर म0प्र0

.......आवेदक

विरूद्ध

1—म0प्र0शासन
2—बिहारीलाल साहू पुत्र श्री दद्दू साहू
जाति तेली उम्र 53 वर्ष
निवासीग्राम खोलखमरा थाना पाली
तहसील पाली जिला उमरिया म0प्र0
हाल मुकाम गोहाडा दफाई वार्ड नं. 06,
विजुरी थाना विजुरी तहसील कोतमा,
जिला अनूपपुर म0प्र0

........अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज 5-12-16 को प्रस्तुत
5-12-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

5/12/16

श्रीमान्

निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय के प्रकरण कमांक 20/2015—16/अ—21 में पारित आदेश दिनांक 30—03—2016 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959

....

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 4126–एक/2016

जिला उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-1-2017	आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री व्ही0के0 तारे अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से डी0के0 शुक्ला अभिभाषक उपस्थित। दोनों अभिभाषकों के तर्क सुने। 2– आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर उमरिया प्रकरण क्रमांक 20/2015–16/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 30–3–16 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के तहत प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया गया है। 3– उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक के स्वाधिपत्य के कृषि भूमि में से आराजी नम्बर 24 रकबा 0.324 हे0 एवं आराजी क्रमांक 53 रकवा 0.866 हे0 स्थित ग्राम खोलखम्हरा तहसील पाली जिला उमरिया को विक्रय अनुमति हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उसे पत्नी के इलाज हेतु पैसों की आवश्यकता है। आवेदक के पास उक्त भूमि विक्रय करने के बाद भी जीविकोपार्जन हेतु भूमि पर्याप्त भूमि है। विक्रय की जा रही भूमि कम उपजाऊ है और भूमि जंगल में स्थित होने के कारण उसे आने–जाने में परेशानी आती है। इस कारण वह कृषि भी नहीं कर पा रहा है। आवेदक के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य भूमि जो ग्राम डोगंरिया टोला में है उसमें वह अधिक परिश्रम व पैसा खर्च करने हेतु सक्षम होगा। कलेक्टर ने मात्र जनजाति से	

अन्य किसी जाति वाले व्यक्ति को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने से इंकार कर आवेदन अमान्य कर दिया। कलेक्टर ने अनुमति प्रदान नहीं करने संबंधी कोई आधार अपने आदेश में समाविष्ट नहीं किया है। अतः निगरानी स्वीकार भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया।

4– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेषों को उचित बताया गया तथा यह कहा गया चूंकि आवेदक ने कलेक्टर न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं और कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया है, अतः उनके आधार पर प्रकरण का निराकरण करते हुए आवेदक की निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाये।

5– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है। प्रकरण में उपलब्ध खसरों की प्रमाणित प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त भी आवेदक के जीविकोर्पाजन हेतु अन्य भूमि उपलब्ध है। जहां तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है कलेक्टर ने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 165(6) का हवाला देकर आवेदक का आवेदन अमान्य किया, परन्तु आवेदक का आवेदन क्यों अमान्य किया जा रहा है उसका विश्लेषण अपने आदेश में नहीं किया है। आवेदक द्वारा अपने पारिवारिक स्थिति और पत्नी के इलाज हेतु भूमिस्वामित्व भूमि के कुछ भाग को विक्रय करने के अनुमति चाही थी जिसके संबंध में कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार समाधानकारक विवरण नहीं अपने आदेश में नहीं दिया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान बताया गया है कि केता वर्तमान बाजारू मूल्य से उसकी भूमि का मूल्य देने को तैयार हैं। भूमि के विक्रय से प्राप्त

राशि से वह अपनी पत्नी का इलाज करा सकेगा। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर उसके द्वारा भूमि विकय हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए आवेदक को निर्धारित गाईडलाईन के अनुसार अधिकतम तीन माह में विकय पत्र संपादित किये जाने की शर्त के साथ विकय की अनुमति प्रदान की जाती है।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एक0के0 सिंह)
सदस्य